## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

श्री प्रेमप्रकाश **द्य**र्मा, तत्का. व्याख्याता वाणिज्य, लाला मनोहर लाल खण्डेलवाल राबाउमावि डीग—भरतपुर जिनको दिनांक 16.07.2019 द्वारा निलम्बित किया गया जाकर, निलम्बन काल में मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर तथा विभागीय जांच बकाया रखते हुए दिनांक 09.10.19 बहाल किया गया।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक— एफ—4/एफ.डी./रूल्स/07 दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत निम्नांकितानुसार किराये के मकान/स्वयं के मकान में रहने की तिथि/आवेदन तिथि से, जो कि उनके नाम के सामने अंकित की गई है, से मूल वेतन का 16 प्रतिशत मकान किराया भत्ता आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रस	नाम व्याख्याता मय विषय	आवेदन करने की तिथि	मूल वेतन	मकान किराया भत्ता स्वीकृति तिथि
1	श्री प्रेमप्रकाश वर्मा व्याख्याता—वाणिज्य	27.08.2019	65200	27.08.2019

(नथमल डिडेल)

नदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

दिनांक- 24.10.2019

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–2/निलम्बित/मकान किराया/2018–19 प्रतिलिपि:–प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू–

1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर

- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- अनुभाग अधिकारी, रोकड़ / वि.जांच अनुभाग, कार्यालय हाजा
- 4 सम्बन्धित कार्मिक
- 5 निजी/रक्षित पत्रावली

र संयुक्त निदेशक(कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर